बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक – ह0क0सह0–(यो0/UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27/2018/ .... पटना, दिनांक–..............................

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले0 एवं हक0)
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार*

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु 6,72,70,000.00 (छः करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम चरण में 6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को 10,000/– (दस हजार) रूपये प्रति बुनकर कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु 6,72,70,000.00 (छः करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम चरण में 6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) रूपये की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है। शेष अन्तर राशि 6,70,000.00 (छः लाख सत्तर हजार) रूपये के संबंध में बाद में विचार किया जाएगा।

2. यह एक नयी योजना है। राज्य में सर्वेक्षणोपरान्त कुल कार्यरत हस्तकरघा 6727 पर यू0आई0डी0 संख्या उत्कीर्ण किया गया है। जिलावार सूची– **अनुसूची– 'क'** संलग्न है जिसके अनुसार 16 जिलों में यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा की संख्या 5068, पाटी लूम की संख्या 1659 अर्थात् कुल 6727 लूमों पर यू0आई0डी0 उत्कीर्ण है। हस्तकरघा बुनकरों जिनके सर्वेक्षणोपरान्त कार्यरत हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 संख्या उत्कीर्ण किया गया है, को कार्यशील पूँजी के रूप में प्रति बुनकर 10,000/– (दस हजार) रूपये बाजार माँग के अनुरूप उनके द्वारा सूत क्रय कर वस्त्र का निर्माण करने हेतु दिया जायेगा। राशि सीधे लाभुक हस्तकरघा बुनकर के बैंक खाते में दी जायेगी। यह लाभ यू0आई0डी0 उत्कीर्ण पाटी लूम धारक कम्बल बुनकरों को भी मिलेगा।

3. यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा की संख्या बढेगी तो उन यू0आई0डी0 उत्कीर्ण लूम धारकों को भी 10,000/– (दस हजार) रूपये कार्यशील पूँजी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन अभिकरण संबंधित जिला के महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र होंगे।

5. संभव है कि एक से अधिक यू0आई0डी0 उत्कीर्ण लूमों के लूम धारक एक ही व्यक्ति (बुनकर) हों। अतएव महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र स्थल जाँच कर आश्वस्त हो लेंगे कि ऐसी स्थिति में उन यू0आई0डी0 उत्कीर्ण लूमों के लूम धारक को अन्य यू0आई0डी0 उत्कीर्ण लूम धारक को लाभुक बुनकर की भाँति सिर्फ 10,000/– (दस हजार) रूपये की राशि ही कार्यशील पूँजी के रूप में दी जाएगी। साथ ही संबंधित महाप्रबंधक स्थल जाँच कर यह भी आश्वस्त हो लेंगे कि यू0आई0डी0 उत्कीर्ण हस्तकरघा पर वर्तमान में वस्त्र उत्पादन हो रहा है।

यू0आई0डी0 उत्कीर्ण कार्यरत हस्तकरघा एवं पाटी लूम धारक बुनकर जो वर्तमान में उस पर वस्त्र बुनाई का कार्य कर रहे हैं, उन्हें ही कार्यशील पूँजी के रूप में 10,000/– (दस हजार) रूपये की राशि दी जाएगी।

6. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र यू0आई0डी0 उत्कीर्ण कार्यरत हस्तकरघा बुनकर के बैंक खाते में प्रति बुनकर 10,000/– (दस हजार) रूपये कार्यशील पूँजी के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान करेंगे। एक बैंक खाता में संबंधित खाताधारक लाभुक बुनकर को ही राशि का भुगतान करेंगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का भुगतान चेक/ड्राफ्ट/नकद के रूप में नहीं करेंगे।

7. वितरित राशि का समुचित संधारण महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पंजी में करेंगे और वितरित राशि का प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगे।

8. इस राशि का दुरूपयोग/ह्रास अन्य मदों में व्यय होने पर इसकी जवाबदेही संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र पर तय करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे जो समय–समय पर इसकी समीक्षा, अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण करेंगे।

10. इस योजना के तहत विमुक्त प्रथम चरण की राशि के लिए विभागीय राज्यादेश संख्या 4583 दिनांक 25.10.18 के अनुसार मुख्य शीर्ष 2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 00, लघु शीर्ष 103 हथकरघा उद्योग, माँग संख्या 23, उपशीर्ष 0103 हस्तकरघा विकास की योजना, विपत्र कोड 23–2851001030103, विषय शीर्ष 0103. 33 01 सब्सिडी में कुल 6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति प्राप्त है। प्रथम चरण की राशि इस मद से विकलित होगा।

यह राशि बिहार वित्तीय नियमावली खण्ड–1 के नियम 489 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदत्त है।

11. स्वीकृत राशि 6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) रूपये मात्र की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न सूची– **अनुसूची– 'ख'** के अनुसार महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर (भभुआ), कटिहार, खगड़िया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), नवादा, पटना, रोहतास (सासाराम), सिवान एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया) होंगे जो राशि की निकासी सार विपत्र BTC-26 पर जिला कोषागार से प्राप्त आवंटन के आधार पर करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्य सम्पादन एवं राशि के व्यय के पश्चात् सार विपत्र BTC-26 पर निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र छः माह के अन्दर BTC-27A पर ससमय महालेखाकर, बिहार, पटना को समर्पित करेंगे तथा इसकी सूचना निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम को उपलब्ध करायेंगे। "बिहार कोषागार संहिता के नियम 194(i) के अनुसार BTC-26 यानि संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (AC Bill) से आहरित राशि हेतु विस्तृत विपत्र (DC Bill) की प्रस्तुति में कोषागार से संक्षिप्त विपत्र के निकासी करने की तिथि से 6 महीने से अधिक का विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद तब तक कोई भी संक्षिप्त विपत्र नहीं भुनाया जा सकेगा, जब तक इन नियमों के अनुरूप विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता"।

12. राशि की निकासी सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार से की जायेगी।

13. प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या 01/उ0ब0स0 (पुनर्विनियोग)–02/18 के पृष्ठ 07/टि0 पर दिनांक 13.10.2018 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या 6562 दिनांक 12.10.2018 है।

14. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0/UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27/2018 के पृष्ठ 21/टि0 पर दि0 12.11.2018 को प्राप्त है।

15. यह राज्यादेश संचिका संख्या ह0क0सह0–(यो0/UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27/2018 के पृष्ठ 24/टि0 पर दिनांक 23.11.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है, जिसका डायरी संख्या– 1495/DHS दिनांक 23.11.2018 है।

16. प्रस्ताव में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

17. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि0 (2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27 / 2018 .... पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपि–संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद / बांका / भागलपुर / गया / जहानाबाद / कैमूर / कटिहार / खगड़िया / मधुबनी / मुजफ्फरपुर / नालन्दा / नवादा / पटना / रोहतास / सिवान / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27 / 2018 .... पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना / उद्योग निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना / आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना / बजट पदाधिकारी, प्रशाखा–1(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना / योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को पाँच प्रतियों मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27 / 2018 .... पटना, दिनांक–...................
प्रतिलिपि– सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– ह0क0सह0–(यो0 / UID उत्कीर्ण लूम धारकों को कार्यशील पूँजी)–27 / 2018 5552 पटना, दिनांक– 06.12.18
प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.12.18

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– 'क'

हस्तकरघा की संख्या जिस पर UID संख्या उत्कीर्ण किया गया

क्र0	जिला का नाम	हस्तकरघा	पाटी लूम	कुल
1	औरंगाबाद	91	479	570
2	बांका	988	0	988
3	भागलपुर	2413	0	2413
4	गया	84	477	561
5	जहानाबाद	3	0	3
6	कैमूर	134	105	239
7	कटिहार	2	0	2
8	खगड़िया	1	0	1
9	मधुबनी	97	0	97
10	मुजफ्फरपुर	23	0	23
11	नालन्दा	146	32	178
12	नवादा	332	0	332
13	पटना	450	0	450
14	रोहतास	141	566	707
15	सिवान	112	0	112
16	प0 चम्पारण	51	0	51
	कुल	**5068**	**1659**	**6727**

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची– 'ख'

वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यान्तर्गत अवस्थित कार्यरत हस्तकरघा पर यू0आई0डी0 (UID) उत्कीर्ण लूम धारकों को 10,000/– (दस हजार) रूपये कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने हेतु 6,72,70,000.00 (छः करोड़ बहत्तर लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति तथा इसमें प्रथम किस्त के रूप में 6,66,00,000.00 (छः करोड़ छियासठ लाख) रूपये मात्र की विमुक्ति के संबंध में राशि का जिलावार आवंटन की सूची–

क्र0सं0	जिला का नाम	आवंटित राशि (लाख में)	कार्यान्वयन अभिकरण एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
1	औरंगाबाद	57.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद
2	बांका	96.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका
3	भागलपुर	237.40	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर
4	गया	56.10	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया
5	जहानाबाद	0.30	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद
6	कैमूर	23.90	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर
7	कटिहार	0.20	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार
8	खगड़िया	0.10	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, खगड़िया
9	मधुबनी	9.70	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी
10	मुजफ्फरपुर	2.30	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर
11	नालन्दा	17.80	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नालन्दा
12	नवादा	33.20	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा
13	पटना	45.00	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना
14	रोहतास	70.70	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास
15	सिवान	11.20	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सिवान
16	प0 चम्पारण	5.10	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, प0 चम्पारण
	कुल	**666.00**	

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।